

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगर-मालवा, मध्य प्रदेश

जावक क्रमांक 1023/2026

आगर-मालवा, दिनांक -20.08.2026

//विधि आदेश//

माह सितम्बर, 2026 के शासकीय अवकाश के दौरान आवश्यक आपराधिक एवं रिमाण्ड कार्य को निष्पादित करने के लिए जिला न्यायालय आगर-मालवा के निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी सुनिश्चित की जाती हैं। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट अपने न्यायालयों में दिन में 3:00 बजे से 5:00 बजे तक आवश्यक एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेंगे :-

क्रं	न्यायिक अधिकारी का नाम	सितंबर, 2026
1	श्री हेमंत मेहरा, जे.एम.एफ.सी. आगर	13, 14
2	सुश्री मोनिका यादव, जे.एम.एफ.सी., आगर	19, 20, 27
3	सुश्री प्रियंका चौहान, जे.एम.एफ.सी. आगर	04. 05, 06
सुसनेर		
4	श्रीमति अरूंधती परस्ते जे.एम.एफ.सी. सुसनेर	13. 14, 19. 20
5	सुश्री वंशिता गुप्ता जे.एम.एफ.सी. सुसनेर	4, 5, 6 27
नलखेडा		
4	श्री नितिन सोनी, जे.एम.एफ.सी. नलखेडा	04. 05, 06, 13, 14, 19, 20, 27

नोट:-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यथानिर्देशानुसार यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी अवधि को शामिल करते हुए **मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश, आकस्मिक या ऐच्छिक अवकाश** का आवेदन प्रस्तुत करते हैं अथवा **प्रशिक्षण में या मुख्यालय से बाहर** जाते हैं तो वे मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपनी रिमाण्ड ड्यूटी करने

की सहमति एवं स्वीकृति आवश्यक रूप से लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे अथवा अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर जाने वाले न्यायिक अधिकारी का रिमांड **कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क.-1** के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

2. उक्त अवकाशों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य दिवस पर कोई अवकाश अचानक घोषित किया जाता है तो निम्नानुसार न्यायिक दंडाधिकारीगण रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे:-

माह सितम्बर, 2026 में सुश्री प्रियंका चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आगर-मालवा,

माह सितम्बर, 2026 में सुश्री वंशिका गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आगर-मालवा,

3. उक्त शासकीय अवकाशों में यदि पुलिस विभाग द्वारा **काबिंग गश्त** की जाती है, तो निम्नानुसार अतिरिक्त न्यायिक दण्डाधिकारीगण उक्त रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे :-

माह सितम्बर, 2026 में सुश्री प्रियंका चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आगर-मालवा

4. पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने की दशा में उनके स्थान पर उनके न्यायालय में आये पीठासीन अधिकारी द्वारा या कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क.-1 के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी। तत्संबंध में पृथक से कोई आदेश पारित नहीं होगा।

5. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यथानिर्देशानुसार यदि कोई अधिकारी अपरिहार्य कारण से रिमाण्ड ड्यूटी आपसी सहमति से बदल लेते हैं तो उसकी पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगर-मालवा को देनी होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी कारण से रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित नहीं होगी।

(अरुण सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
आगर-मालवा, म0प्र0

पृष्ठांकन क्रमांक 1092/2026
प्रतिलिपि:-

आगर-मालवा, दिनांक 20.08.2026

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर से सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आगर/सुसनेर/नलखेडा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/एसडीओपी आगर/सुसनेर/नलखेडा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सचिव, बार एसोसियेशन आगर की ओर अवगत कराये जाने हेतु।
5. जिला अभियोजन अधिकारी, आगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर अनुभाग, आगर-मालवा, म0प्र0 जिला आगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त रिमाण्ड ड्यूटी आदेश समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट आगर/सुसनेर/नलखेडा को ई-मेल पर प्रेषित हो।
7. जेल अधीक्षक, आगर-मालवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अरुण सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
आगर-मालवा, म0प्र0